



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—2882—आप्र०—07/पाकालि/22—25—आप्र०—07/22

दिनांक 21/11/2022

कार्यालय ज्ञाप

उप्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं०—485—ए—आर/राविपि—01—28—एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :—

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम/ गृह जनपद/ जन्मतिथि/वरिष्ठक्र० सर्वश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं०
1	2	3	4	5
1	राकेश कुमार/अजय कुमार/ पटना/01/02/1987/ 2012/CEH/70	विधायिका विभाग लखनऊ	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिंग	2022038
2	नीरज कुमार वर्मा/देव नारायण मौर्य चंदौली/15/4/1991/ 2012/CEH/71	विधायिका विभाग लखनऊ	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंग	2022039

2. इस आदेश द्वारा प्रोन्नत किये जा रहे अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर एकल पारस्परिक वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2022–23 में सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयनित होने वाले सहायक अभियन्ताओं के साथ (Amalgamate) करते हुए घोषित की जायेगी।
3. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उपरान्त अवशेष न में प्रभावी रथानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
5. सहायक अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के नियंत्रक अधिकारी, उन्हे अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि—
 - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (घ) अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्यापि है तो विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्यापि की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
6. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से 01 माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत अभियन्ताओं को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।

7. वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक उपरोक्त किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-2882-अ0प्र0-07 / पाकालि / 2022 / तददिनांक (21.11.2022)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशास0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशास0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / दक्षिणांचल / पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / आगरा / वाराणसी।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-462/अनु0-01/सहा0अभि0/पदो, दिनांक 20.07.2022 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
9. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप सचिव (अ0प्र0-03 / 04 / गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03 / 04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
15. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी / प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी / प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03 / 04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (ई0मेल-ds0304uppcl@gmail.com / uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई0मेल-vetanlekha@gmail.com) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

उप सचिव (07)